नियम एवं शर्तें

स्टॉल का आरक्षण : नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया के नाम तथा दिल्ली में देय किराए की पूर्ण राशि के रेखित बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर के साथ पूरी तरह भरे हुए निर्धारित आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर ही स्टैंड/स्टॉल का आरक्षण किया जाएगा।

- स्थान की उपलब्धता होने पर (स्वीकृत शर्तों के अंतर्गत) प्राप्त और ट्रस्ट द्वारा स्वीकृत आवेदन–पत्र को ट्रस्ट तथा भागीदारों के बीच हुआ अनुबंध माना जाएगा।
- यदि स्थान उपलब्ध हुआ तो अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन–पत्र पर 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर बनी प्रतीक्षा–सूची में से विचार किया जा सकता है।
- आवेदकों को यह भी इंगित करना चाहिए कि वे अपने स्टॉलों को किसी अन्य भागीदार के स्टॉल के साथ लेना चाहेंगे। जहां तक संभव होगा ऐसे स्टॉल साथ–2 देने का प्रयत्न किया जायेगा।
- केवल भारतीय भाषाओं में पुस्तकें प्रदर्शित करने वाले भागीदारों को एक स्टैंड/स्टॉल के किराए में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इससे तात्पर्य यह है कि यदि किसी प्रकाशक ने एक से अधिक स्टॉल बुक कराए हैं। तो उसे सिर्फ आधे स्टॉल की कीमत काटकर बाकी राशि का भुगतान करना होगा। उदाहरणः

  2 स्टॉल की कीमत — रू 8,824 x 2= 17,648/-

  भारतीय भाषा की स्टॉल 50% की रियायत — $\frac{8824}{2}$ = 4412/-

  इस तरह से दो स्टॉल का किराया
  जिसमे एक भारतीय भाषा शामिल है। — 8824+4412/-=13236/-

  क्षेत्रीय भाषा में बिक्री की जाने वाली पुस्तकों के स्टॉल/स्टैंड अलग से बनाए जा सकते है।
- **50 प्रतिशत की छूट का प्रावधान उत्तर–पूर्व क्षेत्र में होने वाले पुस्तक मेलों पर लागू नहीं होगा।**
- आवंटित स्टैंड/स्टॉल पर कब्जा और पुस्तक मेले की पूरी अवधि में स्टाफ की व्यवस्था की जिम्मेदारी भागीदारों की होगी। मेले के अंतिम दिन अधिकृत आदेश के बिना स्टैंड/स्टाल खाली नहीं किये जाएंगे। स्टैंड/स्टॉल तोड़े जाने की नियत अवधि में भागीदार प्रदर्शनी स्थल को पूरी तरह खाली करा देने को बाध्य होंगे अन्यथा ट्रस्ट भागीदार के खर्चे पर प्रदर्शनी स्थल को खाली करने का अधिकारी होगा। ट्रस्ट के सांविदिक तथा क्षतिपूर्ति के दावे को किसी भी तरह से पक्षपातपूर्ण नहीं कहा जाएगा।
- यह भागीदारों की जिम्मेदारी होगी कि वे मेले के समापन पर अपनी पुस्तकों तथा अन्य सामग्री को हटा लें और स्टॉल को उसी स्थिति में खाली कर दें, जिस स्थिति में वे उन्हें आवंटित किए गए थे।

जगह का अनाधिकृत अतिक्रमण : रास्तों का अनाधिकृत अतिक्रमण अथवा स्टॉल का विस्तार स्वीकार्य नहीं होगा। इसलिए भागीदारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री को आवंटित स्टॉल में सीमित रखें।

सफाई : सामान्यतया सफाई की व्यवस्था नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से की जाएगी, पर मेले के दौरान हर समय स्टॉलों को साफ–सुथरा रखना भागीदारों की जिम्मेदारी होगी।

बैनर, पोस्टर आदि का प्रदर्शन : स्टॉल के भीतर बैनर, पोस्टर आदि लगाने पर प्रतिबंध तो नहीं होगा, परन्तु स्टॉल के बाहर कुछ भी प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पुस्तकों की बिक्री : पुस्तकों व अन्य पठन सामग्री की बिक्री निम्नलिखित शर्तों पर करने की अनुमति होगी :

1. मुद्रित मूल्य पर समान रूप से अधिकतम 10 प्रतिशत छूट देने की अनुमति होगी।
2. आवाज लगाकर अथवा विशेष रूप से मूल्य कम करके पुस्तकें बेचने पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा।
3. भारत में कानूनन प्रतिबंधित किसी भी पुस्तक या सामग्री का प्रदर्शन एवं विक्रय नहीं किया जाएगा।

श्रृव्य/दृश्य कैसेट चलाना : श्रृव्य या दृश्य कैसेट चलाने वाले भागीदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी आवाज इतनी धीमी रहे कि पड़ोसी स्टॉल वालों अथवा दर्शकों को कोई

परेशानी न हो। इस विषय में ट्रस्ट का निर्णय अंतिम होगा कि इससे भागीदारों अथवा दर्शकों को परेशानी हो रही है या नहीं।

बीमा : वैसे तो मेले की सुरक्षा हेतु पर्याप्त प्रबंध किए जा रहे हैं, लेकिन आग, बाढ़, पानी, तूफान, हड़ताल, दंगे या अन्य किसी कारणों से प्रदर्शित सामग्री को होने वाले नुकसान के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट जिम्मेदार नहीं होगा। अतः यह न केवल भागीदारों के हित में होगा, बल्कि यह अनिवार्य भी है कि उपर्युक्त कारणों से संभावित नुकसान के विरुद्ध भागीदार अपनी प्रदर्शित सामग्री का अग्रिम बीमा करवा लें। मेले की अवधि में प्रदर्शित सामग्री–भंडार की चोरी, आग या अन्य किसी प्राकृतिक विपदा से सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भागीदार की होगी। स्टैंड/स्टॉल का कब्जा देने से पूर्व इस तरह की बीमा पॉलिसियों के निरीक्षण के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट अधिकृत तो होगा, बाध्य नहीं होगा। नेशनल बुक ट्रस्ट के विरुद्ध कोई भी दावा करते समय, भागीदार को नेशनल बुक ट्रस्ट को हर्जाना–खर्चा देना होगा।

- बारिश से बचने के लिए एन.बी.टी. द्वारा पर्याप्त इंतजाम किये जाते हैं, लेकिन भागीदारों को सलाह दी जाती है कि वे पॉलिथिन अथवा तिरपाल अपनी पुस्तकों की सुरक्षा के लिए जरूर रखें। यदि बारिश के कारण पुस्तकें खराब होती हैं तो इसका उत्तरदायित्व ट्रस्ट का नहीं होगा तथा न ही खराब पुस्तकों के बदले में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की जायेगी।

सुरक्षा : मेले के दौरान 24 घंटे की सुरक्षा नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से रहेगी, परन्तु मेले के दौरान अथवा सामान लाने व ले जाने के समय किसी भी सामग्री के खोने अथवा खराब होने की कोई जिम्मेदारी न तो नेशनल बुक ट्रस्ट की होगी और न ही ठेकेदार की। अतः भागीदारों को सलाह दी जाती है कि वे मेले के समय अपना स्टाल निर्जन न छोड़ें।

- नेशनल बुक ट्रस्ट की लिखित अनुमति के बिना कोई भी सामान मेला परिसर से बाहर नहीं ले जाया जा सकेगा।

प्रवेश : भागीदार को प्रातः 10:30 बजे से पूर्व, मंडपों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी तथा उन्हें हर दिन रात्रि 8.30 बजे तक मंडपों को छोड़ना होगा।

नरसन : किसी प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य विशेष परिस्थितियों में पुस्तक मेले को स्थगित/रद्द करने अथवा समय–अवधि को घटाने–बढ़ाने का अधिकार ट्रस्ट को होगा। यदि मेला उद्घाटन से पहले ही रद्द करना पड़ा तो किराए की राशि जल्द से जल्द लौटा दी जाएगी।

- यदि कोई भागीदार स्थान आरक्षित कराने के पश्चात, किसी भी कारणवश पुस्तक मेले में भाग न लेना चाहे तो ना ही किराया लौटाया जाएगा और ना ही इस किराए का समायोजन आगामी किसी भी पुस्तक मेले में किया जायेगा।

वैधानिक क्षेत्र : मेले में भागीदारों के संबंध में उठे किसी भी प्रकार के दावे अथवा विवाद को सुलझाने हेतु वैधानिक क्षेत्र केवल दिल्ली न्यायालय ही होगा।

- उपर्युक्त नियमों और शर्तों में से किसी भी तरह के संशोधन करने या छूट देने का अधिकार नेशनल बुक ट्रस्ट को होगा और उसका निर्णय अंतिम और मान्य होगा।

पत्र व्यवहार के लिए संपर्क करें :

उप–निदेशक (प्रदर्शनी)

नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया

नेहरू भवन, 5, इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेस–II

वसंत कुंज, नई दिल्ली–110 070

दूरभाष : 011–26707779, 26707700 फैक्स : 011–26707846

ईमेल : **nbtindia@nbtindia.org.in**

dd-exh@nbtindia.org.in

वेबसाईट : **www.nbtindia.org.in**